वित्त निर्देश- 11/2023

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 108/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28.02.2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :- **पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सेवानिवृत्ति के प्रकरण में पेंशन का भुगतान।**

संदर्भ :-
1. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 202/एफ 2016-04-03289/वित्त/नियम/चार/ दिनांक 08.04.2022।
2. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 244/एफ-2016-04-03289/वित्त/नियम/चार/ दिनांक 26.04.2022।
3. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 ।
4. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर का ज्ञापन क्रमांक 632/एफ- 2016-04-03289/वित्त/नियम/चार/ दिनांक 20.09.2022।

--00--

राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन लागू होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में पेंशन जारी किया जाना है। PFRDA के द्वारा एन.पी.एस. में निवेश की गई नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश राज्य शासन को वापस करने में असहमति व्यक्त किये जाने के कारण संदर्भित पत्र क्रमांक 03 की कंडिका 08 के अनुसार योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश के परिप्रेक्ष्य में पेंशन प्रकरणों के भुगतान हेतु अंतरिम व्यस्था के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है -

1. पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शासकीय सेवक के द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के साथ संलग्न प्रपत्र- 2 में विकल्प भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा उक्त विकल्प एवं सहमति पत्र की प्रविष्टि शासकीय सेवक की सेवा-पुस्तिका में की जाकर, मूल प्रति सेवा-पुस्तिका में चस्पा की जाएगी एवं एक-एक सत्यापित प्रति कर्मचारी के व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख के अभिरक्षा में संधारित की जाएगी।

......2

2. सेवानिवृत्ति उपरांत संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अपने PRAN खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर उपार्जित लाभांश को शासकीय कोष में जमा करेंगे तत्पश्चात् ही पुरानी पेंशन योजना अर्थात छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा ।

3. **ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा PRAN खाते में जमा राशि का आहरण नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में कर्मचारी द्वारा एन.पी.एस. के अंतर्गत नियमानुसार अंतिम आहरण की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा।** तत्पश्चात् आहरित राशि से कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ को चालान के माध्यम से शासन के निर्धारित प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जावेगा। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से वापसी उपरांत ही पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी किया जावेगा।

4. PFRDA की अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 के तहत कुल जमा राशि 2 लाख के बराबर या उससे कम तथा अधिसूचना दिनांक 14 जून 2021 के तहत कुल जमा राशि 5 लाख के बराबर या उससे कम होने के कारण यदि कर्मचारी द्वारा PRAN में जमा पूर्ण राशि का आहरण कर लिया गया है। ऐसे मामलों में किये गये कुल आहरण राशि में से नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से वापसी उपरांत पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी किया जावेगा।

5. (क) ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा PRAN में कुल जमा राशि का 60% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है एवं 40% राशि का वार्षिकी क्रय किया गया है। (ख) ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा PRAN में जमा कुल राशि का 60% एकमुश्त आहरण कर लिया गया है तथा 40% राशि का वार्षिकी क्रय नहीं किया गया है।

उक्त **(क)** एवं **(ख)** के मामलों में संबंधित शासकीय सेवक के द्वारा 60% राशि के आहरण दिनांक को PRAN में कुल जमा राशि में से नियोक्ता अंशदान तथा उस पर उपार्जित लाभ की राशि चालान के माध्यम से शासन को वापसी उपरांत ही पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी किया जावेगा ।

6. परन्तु ऐसे प्रकरण जिसमें कर्मचारी द्वारा शासन को देय राशि अत्यधिक है तथा कर्मचारी के द्वारा चालान के माध्यम से राशि जमा करने में असहमति व्यक्त की जाती है तो ऐसी स्थिति में शासन के पक्ष में देय राशि शासकीय सेवक के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर निम्न माध्यमों से राशि का समायोजन किया जा सकेगा। यथा– **1. देय पेंशन एरियर/देय पेंशन राशि से 2. सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान 3. समूह बीमा योजना 4. अवकाश नगदीकरण ।**

7. कंडिका 3, 4 एवं 5 हेतु शासन के प्राप्ति शीर्ष पृथक–पृथक निम्नानुसार निर्धारित है–

(अ) एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासन का अंशदान -	(ब) एन.पी.एस. के अंतर्गत प्राप्त शासकीय अंशदान पर प्राप्त लाभांश -
मुख्य लेखा शीर्ष - 8229 - विकास और कल्याण निधि लघु लेखा शीर्ष - 200 - अन्य विकास और कल्याण निधि योजना क्रमांक - 0088 - पेंशन निधि	मुख्य लेखा शीर्ष - 8229 - विकास और कल्याण निधि लघु लेखा शीर्ष - 200 - अन्य विकास और कल्याण निधि योजना क्रमांक - 0667 - शासकीय अंशदान (एन.पी.एस.) पर प्राप्त लाभांश

8. पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक से कार्यालय प्रमुख द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प एवं राशि के समायोजन हेतु सहमति पत्र तथा शासकीय कर्मचारी के एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि का शासकीय कोष में जमा की गई राशि के चालान की प्रति प्राप्त करने के बाद ही पेंशन प्रकरण तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी।

9. इन निर्देशों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की होगी। संयुक्त संचालक– कोष, लेखा एवं पेंशन भी स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन की पात्रता हेतु सभी मापदण्डों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र.109 / एफ 2016–04–03289 / वि / नि / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 / 02 / 2023

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19 समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु

(इन्द्रप्रकाश सत्रे)
अवर सचिव